संख्या–५8६/VI/2005–143 पर्य0/2002

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन,पटेलनगर,
देहरादून।

पर्यटन अनुभागः   देहरादूनः दिनांक:2१जून, 2005

विषयः– चालू निर्माण कार्यो हेतु वर्ष 2005–06 के आय व्ययक की एकमुश्त धनराशि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या–527A/XXVII(I)/2005,दिनांक 26 अप्रैल2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में चालू निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 11,32,97,000 (रूपये ग्यारह करोड़ बत्तीस लाख सत्तानब्बे हजार मात्र) व्यय करने हेतु निदेशक पर्यटन के निवर्तन पर रखे जाने की इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके यथा आवश्यकतानुसार किश्तों में ही किया जायेगा।

2– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में ग्यारहवे वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत धनराशि भी सम्मिलित है।

4– उक्त धनराशि के विपरीत योजनाओं की स्वीकृति अपनी प्राथमिकतायें तय करते हुये उस पर पर्यटन परिषद का अनुमोदन प्राप्त करके धनराशि व्यय की जायेगी।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है,मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नही होगा।

6– वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बंधित निर्माण इकाई के अधिशासी अभियंता उत्तरदायी होगें।

8– प्रत्येक योजना में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक साइनेज स्थापित कर दिया जायेगा,जिसमें कार्य का पूर्ण विवरण एवं उत्तरांचल पर्यटन के लोगों सहित इंगित किया जायेगा,जैसा कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रत्येक निर्माण इकाई को इंगित किया जा चुका है।

Nic-293

9- समस्त लंबित कार्यों की अद्यतन प्रगति एवं उन्हें पूर्ण करने हेतु योजनावार तैयार कार्यक्रम/पूर्ण करने की तिथि सहित समस्त विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाय। समस्त व्ययों पर योजनावार/कार्यवार उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायगा।

10- चालू कार्यों पर धनावंटन के पूर्व कुल लम्बित कार्यों की सूचना, कार्य की लागत, स्वीकृत धनराशि व अवशेष धनराशि का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और उक्त धनराशि से कार्यवार आवंटन का विवरण के साथ मासिक रूप से आवंटित धनराशि के विपरित व्यय की सूचना व कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना शासन को उपलब्ध कराकर कार्यों का सघन अनुश्रवण किया जायेगा।

11- उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-सम्वर्द्धन तथा प्रचार-04-राज्य सेक्टर-47-निर्माण कार्य चालू-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0- 342/वित्त अनु0-3/2005,दिनांक 19 मई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किया जा रहें है।

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

संख्या- /VI/2005-143 पर्य0/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी,सहारनपुर रोड,देहरादून।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
3- श्री एल0एम0पंत,अपर सचिव,वित्त विभाग,उत्तरांचल शासन।
4- निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
5- निजी सचिव,मा0 पर्यटन मंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
6- निदेशक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
7- वित्त अनुभाग-3
8- नियोजन अनुभाग।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

24/10/05
(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।